बिहार विधान-सभा वादवृत्त ।

सोमवार, तिथि ७ अक्टूबर, १९६३ ।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में सोमवार, तिथि ७ अक्टूबर, १९६३ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

अल्प-सूचित प्रश्नोत्तर ।

Short Notice Questions and Answers.

सभा-नियमावली के नियम "८९" के अनुसार प्रश्नों के लिखित उत्तरों को सभा-मेज पर रखा जाना ।

श्री महेश प्रसाद सिंह—महाशय, मैं तृतीय बिहार विधान-सभा के चतुर्थ सत्र (फरवरी—अप्रील) १९६३ के शेष २३३९ तारांकित प्रश्नों में से १०३ प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा की मेज पर रखता हूँ ।

सिमेंट की चोरी ।

२० । श्री सूरज नारायण सिंह—क्या मंत्री, सिंचाई विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह सही है कि २८ अगस्त १९६३ को दरभंगा जिला, थाना मधुबनी के पचाड़ी बोरिंग स्टेशन से एक टायर गाड़ी पर करीब ३० बोरा सीमेंट चोरी से जा रहा था जिससे पंडौल बोरिंग स्टेशन के ओपरेटर ने पकड़ा । वे सीमेंट के बोरे अभी भी पंडौल बोरिंग स्टेशन पर पड़े हुए हैं ;

(२) क्या यह बात सही है कि पंडौल बोरिंग के ओपरेटर ने एस० डी० ओ०, सिविल, मधुबनी; एस० डी० ओ०, वाटरवेज, मधुबनी; एक्सक्युटिव इंजीनियर, दरभंगा को उक्त घटना की सूचना उसी दिन (२८ अगस्त १९६३ को) दी, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है और सीमेंट के बोरे अभी तक पंडौल बोरिंग स्टेशन पर पड़े हुए हैं ;

(३) अगर उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सीमेंट चोरी से गायब करने में किन अधिकारियों का हाथ है ; इसकी जांच सरकार शीघ्र करेगी तथा अभी तक घटना के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, तो उसका कारण बतलायगी ?

(ख) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(५) जहां पर सदानन्दपुर के निवासी पुल चाहते हैं वह प्रस्तावित पुल के केवल ८०० फीट की दूरी पर है । इतनी दूरी पर अन्य पुल बनाना उचित नहीं होगा ।

रुपये की वापसी ।

७७१ । श्री कर्पूरी ठाकुर—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि श्री रामवृक्ष राय, दुकानदार, शाहापुर पटोरी बाजार (दरभंगा) का एक सौ पैंसठ रुपया चालान नं० ६६ द्वारा दिनांक १८ मई, १९६१ को समस्तीपुर स्टेट बैंक में बिक्री-कर वाले मामले की अपील के लिये नियमानुकूल जमा हुआ था ;

(२) क्या यह बात सही है कि अपील खत्म होने पर उन्होंने रुपये की वापसी (रिफन्ड) के लिये अधीक्षक, बिक्री-कर, समस्तीपुर को ४ दिसम्बर, १९६२ को आवेदन-पत्र दिया था जिसकी प्राप्ति रसीद ४ दिसम्बर, १९६२ को ही स्वयं अधीक्षक द्वारा श्री रामवृक्ष राय को दे दी गयी थी ;

(३) यदि खंड (१) और (२) के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अब तक उन्हें रुपये वापस क्यों नहीं किये गये और अब शीघ्र वापसी के लिये सरकार कौन-सी कार्रवाई करने जा रही है ?

श्री अम्बिका सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(२) उत्तर स्वीकारात्मक है ।

(३) उपर्युक्त रकम की ट्रेजरी चलान की मूलप्रति तथा संबंधित ट्रेजरी द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट ऑफ क्रेडिट उपलब्ध नहीं रहने के कारण रिफंड वाउचर निर्गत करने में कुछ विलम्ब हुआ । लेकिन अब उक्त रकम का रिफंड वाउचर व्यापारी को भेज दिया गया है ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—कब भेजा गया है ?

श्री अम्बिका सिंह—२८ सितम्बर को भेजा गया है ।

श्री कर्पूरी ठाकुर—२८ सितम्बर १९६२ या १९६३ ?

श्री अम्बिका सिंह—२८ सितम्बर, १९६३ को ।

रकम की अदायगी ।

७७२ । श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह—क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि मेसर्स रामवृक्ष राय सर्टिफिकेट केस नं० १३(५) पटोरी, बाजार दुकानदार स० डी० समस्तीपुर, जिला दरभंगा ने समस्तीपुर खजाना में